अनुसूचित जाति / जनजाति के उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराने के किए नेशनल एस सी एस टी हब स्थापित किया किया गया ताकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी केंद्रीय सरकार की सरकारी खरीद नीति आदेश, 2012 के अंतर्गत दायित्व पूरे करने के लिए, प्रचलित व्यवसाय पद्धतियां को अपनाने और स्टैंड अप इंडिया पहल का लाभ उठा सकें |इस हब का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 अक्तूबर, 2016 को किया गया था।

यह हब इस एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है |

एनएसएसएच की संरचना

यह हब, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के दिल्ली स्थित मुख्यालय से संचालित है जिसे इस उद्देश्य के लिए सृजित एक विशेष सेल द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । इसके लिए तीन समितियां गठित की गई हैं जो इस हब के कार्यचालन में सहायता करती हैं।

उच्च अधिकारप्राप्त मॉनीटरिंग समिति

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति के सदस्य राज्यों, विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग संघों और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधि हैं। प्राथमिकत: यह समिति उच्चतम स्तर पर हब के समग्र क्रियाकलापों को मॉनीटर करती है।

सलाहकार समिति

इस समिति के अध्यक्ष श्री मिलिंद कामले, अध्यक्ष, डीआईसीसीआई (दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) हैं। यह समिति प्रत्यक्ष रूप से उच्चाधिकार प्राप्त मॉनीटरिंग समिति के अधीन कार्य करती है। यह लक्ष्य समूह और सरकार के बीच एक प्रभावी, परस्पर रूप से लाभकारी संबंध विकसित करने के उद्देश्य से उद्योग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को हब में लाती है। यह विविध रूप से आपूर्तिकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए निजी सेक्टर में सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देने में भी सहायता करती है।

उच्चाधिकार प्राप्त परियोजना अनुमोदन समिति

इस समिति की अध्यक्षता सचिव, एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार करते हैं। क्योंकि इस हब का स्वरूप गतिक है और इसमें विचारित अवधि में विकास होगा, इसलिए विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निधि की आवश्यकता में, पहचान किए गए ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में परिवर्तनों या जोर दिए गए क्षेत्रों पर निर्भर करते हुए परिवर्तन होने की संभावना है। यह समिति अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की बदलती आवश्यकताओं को शामिल करने की दृष्टि से ऐसे लचीलेपन सुनिश्चित करेगी।

मुख्य उद्देश्य

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नेशनल एस सी एस टी हब स्थापित किया गया है ताकि इस वर्ग के उद्यमी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए केंद्रीय सरकार की सरकारी खरीद नीति आदेश के अंतर्गत दायित्व पूरे करने के लिए, प्रचलित व्यवसाय पद्धतियों को अपनाने और स्टैंड अप इंडिया पहल का लाभ उठाने में मदद ले सकें |

कार्रवाई के अन्य मुख्य बिंदुओं में निम्नलिखित शामिल है:

- केंद्रीय/ राज्य सरकारों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही खरीद के कम से कम उनका 4 प्रतिशत का हिस्सा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की स्वामित्व वाली इकाइयों को प्रोत्साहित करना।
- सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों को संवेदनशील करने, प्रोत्साहित करने और समर्थ बनाने के लिए उद्योग संघों के जरिए हस्तक्षेप हेतु रणनीति तैयार करना।
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमों और उद्यमियों के संबंध में सूचना का संग्रहण, मिलान और प्रसार।
- ऐसे उद्यमियों के उत्पादों/सेवाओं का मिलान करते हुए विशिष्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा मेंटरिंग सहायता और विकास वेंडर कार्यक्रमों का एक भाग बनने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को सुविधा प्रदान करना।
- डीजीएसएंडडी के ई-प्लेटफार्म के जरिए सरकारी खरीद में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की सहभागिता में सुविधा प्रदान करना और प्रगति को मॉनीटर करना।

AGENDA FOR ACTION
Participation in Public Procurement
Vendor Development
Building Reliable Database
Participation in Exhibition and Trade Fairs
Special Subsiides Under Various Schemes
Mentoring and Hand-holding Support
Private Affirmative Action
Policy Advacacy with States
Capacity Building
Credit Facilitation

University Approval Letter

महोदय / महोदया,

(1) कृपया वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ऑफ़लाइन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के आपके प्रस्ताव का संदर्भ लें। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या K-02/4/2021-SME दिनांक 15.11.2021 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब (NSSH) के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत ऑफ़लाइन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का आपका प्रस्ताव एमएसएमई मंत्रालय में एनएसएसएच की परियोजना स्क्रीनिंग समिति (Project Screening Committee) के समक्ष रखा गया था।ओ.एम. क्रमांक के-02/17/2021-एसएमई दिनांक 05.07.2022 के अनुसार प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी-एनएसएसएच ने **महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट** को **300** (10 बैचों में) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इच्छुक/मौजूदा उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत निम्नलिखित ऑफ़लाइन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनकी कुल लागत रु. 69,26,100/- (जीएसटी को छोड़कर) है, आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

(1) This has reference to your proposal for conducting offline Capacity Building Training Programs for SC/ST candidates under National SC-ST Hub scheme during current financial year 2022-23. The Ministry of MSME, Govt. of India vide its OM No. K-02/4/2021-SME dated 15.11.2021 has issued revised guidelines of National SC-ST Hub (NSSH). Your proposal to conduct offline Capacity Building Training Programs under National SC-ST Hub scheme was placed before the Project Screening Committee of NSSH in the Ministry of MSME. As per O.M. No. K-02/17/2021-SME dated 05.07.2022,the Project Screening Committee-NSSH has accorde d approval for conducting following offline Capacity Building Training Programs under National SC-ST Hub scheme to **Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot for 300 numbers of SC/ST aspiring/existing entrepreneurs (10 batches) with total cost of Rs. 69,26,100/- (excluding GST).** The details of the approved training programs are mentioned below:

S. No.	Training State	Training Location	Course	No. of batches	NSQF Level	NQR Code (For NSQF Compliant Courses)	Course Type (Residential / Non-residential)	Course Duration		No. of Trainees		Per candidate cost calculation (INR) as per Common Norms						Batch Cost (INR)	Total Cost All the Batches (INR)
								No. of Hours	Training Duration (Days)	No. of Trainees per batch	Total Trainees in all batches	Training fees (per Hour)	Total Training Fees / candidate	Boarding and Lodging (Rate per day)	Total Boarding and Lodging cost (Day x Rate) for residential training programs	3rd party Assess-ment & Certification Rate (if appli-cable)	Total Cost per Candidate (Training + Boarding Lodging + 3rd Party Assess-ment & Certifi-cation)		
1	Madhya Pradesh	Chitrakoot	Mushroom Grower (small entrepreneur)	1	4	AGR/Q7803	Non Residential	200	40	30	30	42	8400	0	0	1500	9900	297000	297000
2	Madhya Pradesh	Chitrakoot	Mushroom Grower (small entrepreneur)	1	4	AGR/Q7803	Residential	200	40	30	30	42	8400	250	10000	1500	19900	597000	597000
3	Madhya Pradesh	Chitrakoot	Garden cum Nursery Raiser	1	4	AGR/Q0809	Residential	470	75	30	30	42	19740	250	18750	1500	39990	1199700	1199700
4	Madhya Pradesh	Chitrakoot	Squash and Juice Processing Technician	1	4	FIC/Q0101	Residential	230	45	30	30	49	11270	250	11250	1500	24020	720600	720600
5	Madhya Pradesh	Chitrakoot	Pickle Making Technician	1	4	FIC/Q0102	Residential	240	45	30	30	49	11760	250	11250	1500	24510	735300	735300
6	Madhya Pradesh	Chitrakoot	Jam Jelly and Ketch Up Processing Technician	1	4	FIC/Q0103	Residential	240	45	30	30	49	11760	250	11250	1500	24510	735300	735300
7	Madhya Pradesh	Chitrakoot	Fruit Pulp Processing Technician	2	4	FIC/0106	Residen tial	240	45	30	60	49	11760	250	11250	1500	24510	735300	1470600
8	Madhya Pradesh	Chitrakoot	Retail Sales Associate	1	4	RAS/Q0104	Residential	280	50	30	30	42	11760	250	12500	1500	25760	772800	772800
9	Madhya Pradesh	Chitrakoot	Soil and Water Lab Analyst	1	5	AGR/Q8103	Non Residential	240	45	30	30	49	11760	0	0	1500	13260	397800	397800

Total	**10**							**300**		**106610**		**86250**	**13500**	**206360**	**6190800**	**6926100**

(2) कार्यालय ज्ञापन सं. K-02/4/2021-SME दिनांक 15.11.2021 द्वारा एमएसएमई मंत्रालय की जारी संशोधित एनएसएसएच दिशानिर्देश - क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में (अध्याय-2) का महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना है।

(2) The revised NSSH Guidelines issued by Ministry of MSME vide OM no. K-02/4/2021-SME dated 15.11.2021 with respect to Capacity Building Training Programs (Chapter-2) are to be strictly followed and adhered to by **Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya** in totality.

(3) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को प्रशिक्षुओं के चयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करनी है और भारत सरकार के सभी वैधानिक नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना है। उपरोक्त अनुमोदित कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित होने वाले उम्मीदवारों के लिए संस्थान को किसी अन्य सरकारी या निजी योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को किसी भी तरह से उप-अनुबंध / उप-ठेके पर नहीं लेना चाहिए।

(3) Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya has to ensure complete transparency in selection of trainees and comply with all the statutory rules & guidelines of Government of India. The institute must not avail financial assistance from any other Government or Private scheme for the candidates to be trained under the above approved programs and should not sub-contract/sublet these training programs in any manner.

(4) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल/दिशानिर्देशों/एसओपी का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

(4) Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya should strictly adhere to COVID-19 related protocols/guidelines/SOP issued by the Government from time to time.

(5) भुगतान शर्तें- प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण लागत निम्नलिखित 50:40:10 पैटर्न पर जारी की जाएगी और कोई पिछला उपयोग प्रमाणपत्र लंबित नहीं होना चाहिए।

- प्रशिक्षण प्रस्ताव के अनुमोदन पर अग्रिम राशि के रूप में 50%,
- प्रशिक्षण पूरा होने पर इनवॉइस (Invoice) के साथ जीएफआर प्रारूप के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) - कुल प्रशिक्षण लागत के लिए, जमा करने पर 40%,
- परिणाम रिपोर्ट (Outcome Report) प्रस्तुत करने और नीचे दिए गए सफलता दर मानदंडों को पूरा करने पर 10%।

प्रशिक्षण प्रस्ताव के अनुमोदन पर अग्रिम राशि के रूप में 50% राशि जारी करने के लिए संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व-प्राप्ति (Pr-Receipt), अंडरटेकिंग (Undertaking) और प्रशिक्षण कलैण्डर का प्रारूप इसके साथ संलग्न है।

(5) Payment Terms- The Training Cost shall be released to the Training Institute on 50:40:10 pattern and no previous Utilization Certificate should be pending:
- 50% as advance amount on approval of training proposal,
- 40% on training completion and submission of Utilization Certificate (for the total training cost) as per GFR Format supported with consolidated **Invoice** and,
- 10% on submission of outcome report and meeting the success rate criteria detailed below.

The format of the Pre-Receipt, Undertaking and Training Calendar to be submitted by the Institute for release of 50% as advance amount on approval of training proposal are <u>attached herewith</u>.

(6)सफलता दर मानदंड: परिणाम (Outcome) के आधार पर प्रशिक्षण शुल्क के 10% भुगतान जारी करने के मानदंड निम्नानुसार हैं –

स्वरोजगार / नियुक्ति (नौकरी)	अदायगी
20% से कम	शून्य
20% से ऊपर	पूर्ण 10% भुगतान

(6) Success rate criteria: The criteria for release of outcome based 10% payment of training fee is as under -

Self-employed / Placement (job)	Disbursement
Less than 20%	Nil
Above 20%	Full 10% payment

(7) प्रशिक्षण लागत के 40% शेष भुगतान जारी करने के लिए, संस्थान को उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate)के साथ अलग से अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) For release of balance payment of 40% towards training cost, the institute has to submit separate undertaking alongwith UC, format of which shall be provided shortly.

(8) प्रशिक्षण शुरू होने के 3 दिनों के भीतर उम्मीदवारों का डेटा www.nssdatabase.in पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

(8) Candidates' data must be uploaded on www.nssdatabase.in portal within 3 days of commencement of training.

(9) कृपया हमें अपने बैंक खाते के निम्नलिखित विवरण भेजें:

a) बैंक खाता संख्या
b) आईएफएससी कोड
c) बैंक का नाम
d) d) शाखा का नाम
e) पीएफएमएस यूनिक आईडी नंबर।

यदि पीएफएमएस आईडी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:

i. संस्थान का नाम
ii. संस्थान का पता
iii. जीएसटी नं।
iv. पैन नंबर
v. टैन नं
vi. संस्थान के अधिकृत व्यक्ति का नाम (उसके मोबाइल नंबर और ईमेल पते के साथ)

(9) Please send us the following details of your Bank A/c:

a) Bank Account No.
b) IFSC Code
c) Name of the Bank
d) Name of the Branch
e) PFMS Unique ID No.

In case PFMS ID is not available, kindly furnish the following details:

i. Nam of the Institute
ii. Address of the Institute
iii. GST No.
iv. PAN No.
v. TAN No.
vi. Name of the authorized person of the Institute (with his Mobile No. and Email address)

यह दोहराया जाता है कि संस्थान को संशोधित एनएसएसएच दिशानिर्देश के अध्याय-II **का पालन** करना चाहिए जो इसके साथ संलग्न है।
It is reiterated that the Institute should follow Chapter -II of Revised NSSH Guideline which is attached herewith.

सादर / Regards

के .के. शर्मा / K. K. Sharma,
महाप्रबंधक -एसजी (नेशनल एससी-एसटी हब) / General Manager -SG (National SC-ST Hub) /
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड / National Small Industries Corporation Limited /
NSIC Bhawan, Okhla Industrial Estate,
New Delhi -110020

NATIONAL SC-ST HUB
Safalta ki pehchaan